निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21घ (नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

04-बद्रीनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा के लिए उप निर्वाचन-2024

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि — श्री लखपत सिंह बुटोला, ग्राम—चौण्डी, पोस्ट—सिमलासू, तहसील—पोखरी, जिला—चमोली, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थानः गोपेश्वर

दिनांकः 13 जुलाई, 2024

(राज्यकुनार पाण्डेय) वर्ष रिट्रानिंग आफिसर नाष्ट्रीवधान सभा निवाचन क्षेत्र।

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statuory Rules and Order)

Form 21 D

(See rule 64)

(for use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act. 1951

Bye Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand (State) From the 04- Badrinath Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

Shri Lakhapat Singh Butola, Village- Chaundi, Post- Simlasu, Tehsil-Pokhari, District- Chamoli, Uttarakhand Sponsored by Indian National Congress (Recognised political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Rajendra Singh Bhandari.

Place: Gopeshwar

Date: 13th July, 2024

Rajkumar Pandey) Returning officer

Assembly Constituency.